

Class - ③ # मूल अधिकार Fundamental Right

- # **Art 15(3)** - राज्य को अधिकार है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है।
The state has right to make special provision for women and children.

NOTE - महिलाओं का धरेलू हिंसा से संरक्षण अधि. **2005**
Protection act of women from domestic violence **2005**

- # **Art 15(6)** - 103 वाँ संविधान संशोधन अधि. 2019
[103th CA - 2019] के द्वारा जोड़ा गया।
↳ आर्थिक रूप पिछड़े लोगों के EWS - लोगों को 10% आरक्षण (Reservation) शैक्षिक संस्थानों Educational Institute में मिलेगा।

- # **Art 16**
↳ लौक नियोजन की समानता Equal Opportunity.
↳ " सरकारी नौकरी में समानता "

- # **Art 16(4)**
↳ राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है।
(Reservation)

Art 16 (6)

→ 103 वाँ - 2019 में जोड़ा गया Add on

→ (EWS) के लिए 10% का आरक्षण (Reservation)
सरकारी नौकरी में दिया जाएगा

Art 17 → (दुआदुत का अंत)

→ अस्पृश्यता का अंत (The end of Untouchability)

→ अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम - 1955
(500 रु० + 6 month जेल)

→ 1976 संशोधन (Amendment) - सिविल अधिकार
संरक्षण अधि. 1955
[Civil Right Protection act 1955]

Art 18

→ उपाधिपों का अंत (The end of Title)

→ राजा
केशर-ए हिन्द] नहीं कर सकते महाराजा X
विक्रमादित्य X

[* डॉक्टर - डिग्री
* भारतरत्न - सम्मान
* पद्म विभूषण - सम्मान]

[स्वतंत्रता का अधिकार
Right to Freedom 19-22]

Art 19(1)(a) - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
Freedom of Speech and Expressions

- ① प्रेस की स्वतंत्रता | Freedom of Press
- ② राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता
Freedom to fly the national flag.
- ③ जानने का अधिकार | Right to know
- ④ शान्त रहने की स्वतंत्रता Freedom to be quiet
- ⑤ इंटरनेट का प्रयोग | Use of Internet - 2017

¹⁹ **Art (1)(B)** (अनुच्छेद 19(1)(B))

↳ शान्ति पूर्वक एवं निरास्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता
Freedom to assemble peacefully without arms.

¹⁹ **Art (1)(C)** (अनुच्छेद 19(1)(C))

↳ सम्मा, संघ एवं सहकारी समितियाँ बनाकर
Freedom to make associations, Unions &
Co-operative Society.

Art 19(1)(D) (अनुच्छेद 19(1)(D))

↳ भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता
Freedom to move freely through out the
territory of India.

Art 19(1)(E) अनुच्छेद 19(1)(E)

↳ निवास या बसने की स्वतंत्रता
Freedom to Reside & Settle

Art 19(1)(G) (अनुच्छेद 19(1)(G))

↳ किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता
Freedom of any profession of Trade.

Art 20 - दोष सिद्धि से संरक्षण
Protection in respect of Conviction For
offenses.

Art 20(1) - कार्पोलर विधि से संरक्षण
Ex-post Facto law

Art 20(2) - दोहरे दण्ड से संरक्षण
Conservation From double punishment.

Art 20(3) - स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए
बाध्य नहीं होगा।
Conservation being witness against own